मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
27/02/17	18/06/20	3 वर्ष, 3 माह, 22 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या–९०/२०१७

कु. अपूर्वा कौशिक उम्र करीब१५ वर्ष नाबालिग पुत्री स्व . डॉ. महावीर शरण कौशिक निवासी मुहल्ला कटरा गुरसरांय थाना व पो. गुरसरॉय तहसील गरौठा जिला झॉसी जरिये नाबा. संरक्षिका मॉ श्रीमती रेखा पत्नी स्व. डॉ. महावीर शरण कौशिक निवासी उपरोक्त,

––––––––याचिया।

प्रति

१. तरुण कुमार गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता निवासी ३०/अन्दर बड़ागॉव गेट झॉसी, उ.प्र.

.....वाहन स्वामी वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

२. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इलाईट चौराहा, झॉसी जरिये शाखा प्रबन्धक का. इ. क. लि. झॉसी

..... बीमाकर्ता वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

३. रहीम खॉन तनय मन्नी खॉन निवासी कटरा गुरसरांय

.....चालक वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९

––––––––विपक्षीगण।

याचीगण के अधिवक्ता––––––––– श्री शिवकान्त शर्मा
विपक्षी सं. १ व ३ के अधिवक्ता––––श्री संजय देव शर्मा
विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता––––––– श्री एस. बी. कनकने

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचिया द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा १४० व १६६ के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याचिया कु. अपूर्वा कौशिक को आयी चोटों के कारण ₹२८,५०,०००/– क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

२. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याचिया अपने परिवार के साथ दिनॉक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६ बजे गुरसरांय अपने घर से सिद्धेश्वर मन्दिर दर्शन के लिये गयी थी और लौटते समय एरच–गुरसरांय मेन सड़क के किनारे याचिया व उसका पूरा परिवार खड़ा हो गया तभी गुरसरांय की ओर से आ रही लोडर मालवाहक पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक अधिक उतावलेपन में बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और याचिया व उसके परिवार को जोरदार टक्कर मार दी जिससे याचिया व उसके परिवार के लोग कच्ची सड़क के पास खेत में गिर गये और गम्भीर चोटों के कारण बेहोश हो गये। राहगीरों की मदद से याचिया व उसके परिवार के लोगों को प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसरांय लाया गया जहॉ से उसे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झॉसी रेफर कर दिया गया वहॉ उपचार से सन्तुष्ट न होने पर याचिया को शीला जैन प्राईवेट नर्सिग होम में भर्ती कराया गया जहॉ रहकर उसका करीब ३० दिनों तक ऑपरेशन कर गम्भीर चोटों का इलाज हुआ। याचिया अध्ययनरत थी तथा उच्च पढ़ाई करके भविष्य में उच्च पदों पर नौकरी करके करीब १५ –२० लाख रुपया कमा लेती।

३. विपक्षी सं. १ व ३ क्रमशः तरुण कुमार गुप्ता व रहीम खॉ जो कि प्रश्नगत महिन्द्रा पिकप नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ के स्वामी व चालक हैं, की ओर से १९बी संयुक्त

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.18 16:37:10 UTC
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI

जवाबदावा दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि उनके उक्त वाहन से कथित दुर्घटना नहीं हुयी है। विपक्षी सं. ३ कुशल चालक है व उसके पास दुर्घटना के दिनॉक व समय पर वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था तथा विपक्षीगण का उक्त वाहन घटना के समय विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के यहॉ समस्त दायित्वों के लिये बीमित था अतः क्षतिपूर्ति अदायगी का यदि कोई दायित्व पाया जाता है तो वह विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी का होगा।

४. विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महिन्द्रा पिकप नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा १८बी दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि विपक्षी सं. १ प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी नहीं है तथाकथित दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास उक्त वाहन चलाने का वैध लाइसेन्स नहीं था और न ही विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन बीमित था। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं। याचीगण ने मिथ्या तथ्यों पर याचिका बढ़ा–चढ़ाकर अन्य किसी प्रकार से हुई दुर्घटना को पश्चात विचारों पर तोड़ –मरोड़ कर व साजिश विपक्षी सं. १ दुर्घटना के दिनॉक से २ माह बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर फर्जी रूप से क्लेम पाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है।

५. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक २१.०३.२०१८ को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं:–

१. क्या दिनॉक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६.०० बजे जब याचिया कु. अपूर्वा कौशिक अपने माता–पिता व बहन के साथ अपने घर से सिद्धेश्वर मंदिर दर्शन के लिये गयी थी तब मंदिर से लौटते समय एरच गुरसरांय मेन सड़क के किनारे याचिया अपने माता पिता तथा बहन सहित सड़क किनारे खड़ी थी उसी समय गुरसरांय की ओर से आ रही लोडर छोटी मालवाहक गाड़ी पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और याचिया में टक्कर मार दी जिससे याचिया को गम्भीर चोटें आयीं ?

२. क्या दुर्घटना की दिनॉक व समय पर पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था?

३. क्या दुर्घटना की दिनॉक व समय पर पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ विपक्षी सं.२ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से बीमित थी?

४. क्या याचीगण कोई प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं, यदि हॉ, तो कितनी व किस विपक्षी से?

६. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:–

१. याचिया द्वारा फेहरिस्त ७सी१ के माध्यम से ८सी१ लगायत १५सी१ प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरसरांय का बाह्य रोगी टिकिट, महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झॉसी के आकस्मिक विभाग व रेडियोलॉजी विभाग के पर्चे, इंजरी रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी, फिटनेस प्रमाणपत्र व पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

२. याचिया की ओर से फेहरिस्त २७सी१ के माध्यम से २८सी१/१ लगायत ५४सी१ प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरसरॉय का असल बाह्य रोगी टिकिट,

महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी के आकस्मिक विभाग व रेडियोलॉजी विभाग के पर्चे, इंजरी रिपोर्ट, शीला जैन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का याचिया का डिस्चार्ज टिकिट, इलाज के पर्चे, रिपोर्ट, दावाओं के बिल, एक्स–रे प्लेट आदि शामिल हैं,

३. विपक्षीगण सं. १ व ३ की ओर से फेहरिस्त २०सी१ के माध्यम से २०सी१/२ लगायत २०सी१/५ प्रपत्र जिनमें ड्राईविंग लाइसेन्स, बीमा पॉलिसी, स्वस्थता प्रमाणपत्र, पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ आदि शामिल हैं,

४. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अजय नायक, कनिष्ठ सहायक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी द्वारा फेहरिस्त ५९ सी१ से याचिया श्रीमती अपूर्वा की इंजरी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति ६०सी१ व रहीश खॉ रिकॉर्ड कीपर शीला जैन मल्टिस्पेशियलटी हॉस्पिटल द्वारा फैहरिस्त ६१सी१ से ६२सी१/१ लगायत ६२सी१/४७ प्रपत्र जिनमें याचिया श्रीमती अपूर्वा कौशिक के इलाज से सम्बन्धित बिल वाउचर, भर्ती रिकॉर्ड, डिस्चार्ज पत्र, रिपोर्ट आदि शामिल हैं,

५. याचिया की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.१ के रूप में याचिया श्रीमती रेखा कौशिक संरक्षिका याचिया अपूर्वा कौशिक व पी.डब्लू.२ के रूप में राजकुमार को परीक्षित कराया गया है,

६. विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

७. मैंने वर्चुअल कोर्ट में उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

८. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. १</u>

वाद बिन्दु सं. १ को साबित करने के लिये याचिया की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप–पत्र तथा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियॉ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं तथा मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पी.डब्लू.१ श्रीमती रेखा कौशिक संरक्षिका याचिया अपूर्वा कौशिक तथा पी.डब्लू. २ राज कुमार को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। बीमा कम्पनी के विद्वान् अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में दो माह का बिलम्ब है, जिससे घटना सन्देहास्पद हो जाती है तथा वाहन को झूठा आरोपित करने का मौका मिल जाता है। एक क्रेशर मालिक की गाड़ी से दुर्घटना बताई गयी है जबकि दुर्घटनाग्रस्त ब्यक्तियों के मुखिया भी क्रेशर मालिक हैं। बीमा कम्पनी के इस तर्क से मैं सहमत नही हूँ क्योंकि इस दुर्घटना में मृतक महावीर शरण के परिवार में उसकी पत्नी याचिया श्रीमती रेखा कौशिक तथा दो बच्चियाँ भी गम्भीर रूप से घायल हुयी हैं जिनके इलाज में दो माह का समय लगने की पूरी संम्भावना है। दुर्घटनाकारक वाहन के स्वामी का क्रेशर मालिक होना महज इत्तेफाक हो सकता है क्योंकि इसके समर्थन मे बीमा कम्पनी की ओर से कोई साक्ष्य नही है। विधि व्यवस्था **<u>रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011 – SC): MANU / SC / 0133/2011</u>** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा – २० और २१]*

<u>अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (09.02.2018 – SC): MANU / SC / 0105/2018</u> के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि *मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले मे इतनी*

यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी एक आपराधिक मुकदमे में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढ़ंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिए संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।

९. प्रस्तुत मामले में एफआईआर मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई थी जो कि स्वयं भी घायल थी। २ माह की देरी को एफआईआर मे ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। इलाज कराने मे हुआ विलंब एक स्वीकार्य विलंब है। पी.डब्लू.१ मृतक की पत्नी ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का विस्तृत विवरण देते हुये कथन किया है कि वह दिनॉक – २२.१०.२०१६ को अपने घर से सिद्धेश्वर मन्दिर दर्शन करने गयी थी, वहां से लौटते समय एरच–गुरसरांय मार्ग मुख्य सड़क के नजदीक कच्ची सड़क पर वह व उसके साथ गये उसके पति महावीर शरण कौशिक और उसकी दो बेटियां आकांक्षा कौशिक और अपूर्वा कौशिक सड़क के किनारे खड़े हुये थे। उसके पति लघुशंका के लिये थोड़े से आगे गुरसरांय की ओर गये थे और वहां से लौटते समय उसने देखा कि गुरसरांय की ओर से गाड़ी सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक अधिक उतावलेपन से बिना हार्न बजाये हुये आया और उसके पति महावीर शरण को जोरदार टक्कर मार दी और उसे और उसकी दो बच्चियों को भी जोरदार टक्कर मार दी। उसके पति घटना स्थान पर लहू–लुहान होकर उछलकर गिर गये और उन लोगों को गम्भीर चोटें आयीं। उसने अपने देवर को घटना स्थल पर बुलाया, उसके बाद उन सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसरांय ले जाया गया, वहां से चोटों की गम्भीरता को देखते हुये मेडिकल कालेज, झॉसी रेफर किया गया। उसके पति को उसी दिन अस्पताल में मृत घोषित किया गया।

१०. पी.डब्लू. २ ने भी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनॉक २२.१०. २०१६ को वह सिद्धेश्वर बाबा मंदिर दर्शन करने गये था एवं मुख्य सड़क के दूसरी ओर खड़ा था। मृतक महावीर शरण कौशिक और उसकी दो बच्चियां भी उसके सामने ही खड़ी थी। उसने देखा कि तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन बुलेरो पिकप नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ ने महावीर कौशिक व उसके सामने खड़ी उसकी पत्नी व दो बच्चियों को जोरदार टक्कर मार दी। उसने भी दुर्घटना कारित वाहन को आवाज लगायी, रोकने के लिये कहा तब थोड़ी गाड़ी धीमी हुयी। उसी समय उसने गाड़ी का नम्बर देख लिया था। जिस समय दुर्घटना हुयी उस सयम लगभग साढ़े छैः व सात बजे का समय रहा होगा। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में इसकी हितबद्धता के सम्बन्ध में कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हआ है। विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अंधेरे में नम्बर नहीं देखा जा सकता है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि हल्का–हल्का अंधेरा था, उसने नम्बर देख लिया था। मेरे विचार से २२ अक्टूबर को शाम साढ़े छैः–सात बजे के बीच में इतना अंधेरा नहीं होता है कि नम्बर न देखा जा सके। यदि अधिक अंधेरा होगा तो वाहन चालक लाईट जलाकर अवश्य चलेगा और जब लाईट जलाकर चलेगा तो नम्बर प्लेट पर पड रही रोशनी मे नम्बर अवश्य पढ़ा जा सकता है। इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि मृतक का परिवार कार में था और यह कार पेड़ से टकरायी जिससे साक्षी ने इन्कार किया है। बीमा कम्पनी की ओर से इन्वेस्टीगेशन की कोई ऐसी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है जिसमें कार का पेड़ से टकराने का कोई मामला आता हो और ना ही नक्शा नजरी में कार का कोई जिक्र है। नक्शा नजरी निम्नवत है–

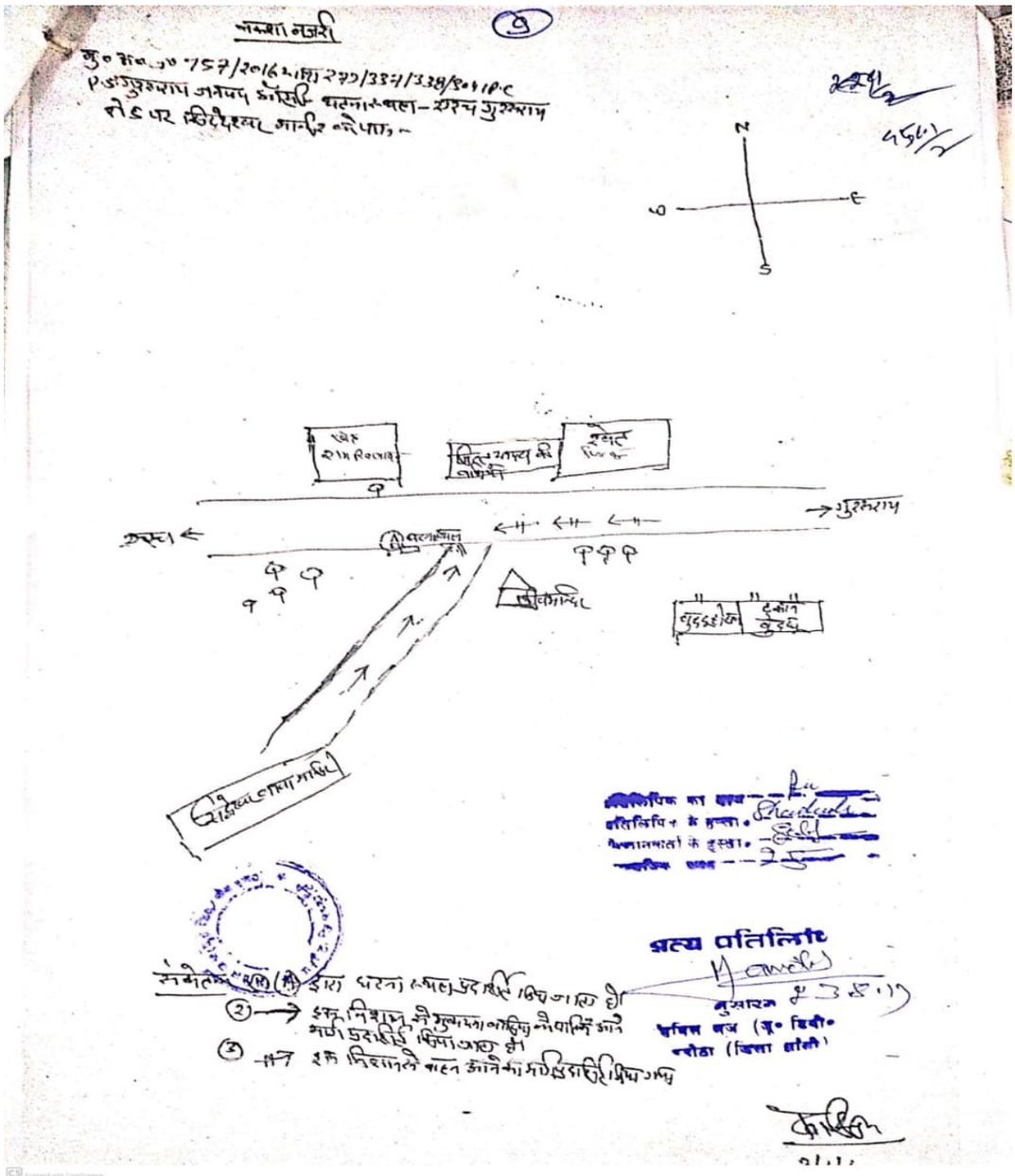

पी.डब्लू. २ की साक्ष्य की सत्यता पर भी कोई सन्देह नहीं होता है अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनॉक २२.१०.२०१६ को समय करीब ६.०० बजे जब मृतक डॉ. महावीर शरण कौशिक अपने घर से सिद्धेश्वर मंदिर दर्शन के लिये गये थे तब मंदिर से लौटते समय एरच–गुरसरांय मेन सड़क के किनारे मृतक व उसका पूरा परिवार खड़ा हो गया उसी समय गुरसरांय की ओर से आ रही लोडर छोटी मालवाहक गाड़ी पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और मृतक में टक्कर मार दी जिससे मृतक को गम्भीर चोटें आयीं तथा उसकी मृत्यु हो गयी। तदनुसार वाद बिन्दु सं.१ सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

११. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. २</u>

आरोप पत्र मे चालक रहीम उर्फ बबलू पुत्र मन्नी खॉ को अभियुक्त बनाया गया है। इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. १ व ३ की ओर से प्रपत्र सं. २७सी१/२ रहीम खान पुत्र मन्नी खान की चालन अनुज्ञप्ति की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार यह चालन अनुज्ञप्ति दिनॉक ०६.०५.१९५७ को जारी की गयी है तथा यह १२.०७.२०१९ तक ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक २०.१०.२०१६

की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुलेरो पिकप नं. यू..पी. ७७ टी ५०८९ के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था अत: वाद बिन्दु सं. २ सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१२. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. १५सी१ छाया प्रति बीमा पॉलिसी व विपक्षी सं. १ व ३ की ओर से प्रपत्र सं. २७सी१/३ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार उक्त प्रश्नगत महेन्द्रा पिकप का बीमा दिनॉक ०१.०६.२०१६ से ३१.०५.२०१७ तक प्रभावी है। इस बीमा पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनॉक २०.१०.२०१६ की है। अत: वाद बिन्दु सं. ३ सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१३. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ४</u>

वाद बिन्दु सं. १ के निस्तारण से यह साबित है कि प्रश्नगत दुर्घटना के दिनांक व समय पर मालवाहक गाड़ी पिकप महिन्द्रा सं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और याचिया में टक्कर मार दी जिससे याचिया को गम्भीर चोटें आयीं। इस प्रकार याचिया क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अब प्रश्न यह है कि किस विपक्षी से और कितनी? चूंकि वाद बिन्दु सं. २ व ३ सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. २ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

१४. स्थाई रूप से विकलांगता का कोई कथन या साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। पी.डब्लू.१ ने यह साक्ष्य दिया है कि दुर्घटना में आयी चोटों के कारण कु० अपूर्वा कौशिक को शीला नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। उसे गले में गम्भीर चोटें थी। काफी खून बह गया था। दाहिने हाथ की उंगलियों में फ्रेक्चर था जिनका आपरेशन करके छड़ें डाली गयी थी। इलाज में लगभग तीन साढ़े तीन लाख खर्च आया। २२ दिनों तक निरंतर इलाज चलता रहा। याचिया की ओर से दुर्घटना में आयी चोटों के समर्थन में फेहरिस्त २७सी१ के माध्यम से महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झॉसी के आकस्मिक विभाग व रेडियोलॉजी विभाग के असल पर्चे, शीला जैन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का असल डिस्चार्ज टिकिट, महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झॉसी के आकस्मिक विभाग का याचिया की असल इन्जरी फॉर्म, इलाज के पर्चे, इंजरी रिपोर्ट, दावाओं के बिल आदि दाखिल किये गये हैं। लगभग ६४,००० रुपये के बिल प्रस्तुत किए गए हैं जिनके सापेक्ष ६१,१२८ रु. के बिल बीमा कम्पनी द्वारा सत्यापित कराए गए हैं जिन्हे मैं उचित पाता हूॅ। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों में उक्त गंभीर चोटों पर मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए ८,००० रु., पुष्टाहार के लिए ८,०००रु., सहायक की सेवाओं के लिए खर्च पर ८,००० रु., इलाज के लिए अवागमन पर खर्च ५,००० रु. व अस्थायी रूप से कार्य न कर पाने की हानि के लिए ५,००० रु. दिलाया जाना भी न्यायोचित समझता हूॅ। इस पर ब्याज ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनॉक से दिलाया जाना भी न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

याची की याचिका विपक्षी सं. १ व ३ के विरुद्ध पृथक–पृथक व संयुक्त दायित्व के आधार पर आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि **₹९५,१२८/– (पंचानवे हजार एक सौ अठाईस**) मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. २ को आदेशित किया

जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से ३० दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक १८.०६.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया। निर्णय की सूचना पक्षकारों को दी जाए।

दिनॉक १८.०६.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण,
झांसी।